केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
नई दिल्ली

प्रवेश सूचना 2021–22

शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा एक में प्रवेश के लिये ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 01.04.2021 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 19.04.2021 सांय 7.00 बजे तक किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधित विवरण वैबसाइट और Android मोबाइल ऐप दोनों के माध्यम से https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

शैक्षणिक सत्र 2021–22 में कक्षा 1 में ऑनलाइन प्रवेश के लिए अधिकारिक Android मोबाइल ऐप https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in/apps/ पर उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड करने और इन्स्टाल करने के निर्देश उपरोक्त URL पर उपलब्ध होंगे। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे पोर्टल और ऐप का उपयोग करने से पहले निर्देशों का सावधानी से पालन करें।

कक्षा दो एवं दो से ऊपर की कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश के लिए पंजीकरण दिनांक 08.04.2021 प्रातः 8:00 बजे से दिनांक 15.04.2021 सांय 4:00 बजे तक (ऑफलाइन मोड) द्वारा किया जा सकेगा।

के. वि. सं. वैबसाइट (https://kvsangathan.nic.in) पर उपलब्ध समय सारिणी के अनुसार कक्षा XI के लिए आवेदन प्रपत्र संबंधित विद्यालय की वैबसाइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध होगा।

सभी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31.03.2021 से होगी। कक्षाओं में सीटों का आरक्षण के. वि. सं. के प्रवेश दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाएगा (https://kvsangathan.nic.in) इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभिभावक संबंधित केन्द्रीय विद्यालय / मुख्यालय की वैबसाइट देखें।

वर्तमान में COVID-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी (केंद्र / राज्य / स्थानीय) द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों की अनुपालना में अभिभावकों से अनुरोध है कि वे विद्यालय में जाकर भीड़ एकत्रित न करें। प्रवेश संबंधी सभी सूचनाओं की जानकारी, पंजीकरण प्रपत्र प्राप्त करने के लिए विद्यालय/मुख्यालय की वैबसाइट निरंतर देखें। कक्षा दो एवं दो ऊपर की कक्षाओं के लिए पूर्णतया भरा हुआ पंजीकरण प्रपत्र स्कैन कर संबंधित विद्यालय की ई मेल पर प्रेषित करें।

प्राचार्य द्वारा विद्यालय में बुलाए जाने पर निर्धारित समय अंतराल में ही प्रवेश प्रभारी / प्राचार्य से संपर्क करें।

केंद्रीय विद्यालय महू

सत्र 2021-22

कक्षा 2 से कक्षा 9 तक किसी भी कक्षा में कोई रिक्ति नहीं है।

रजिस्ट्रेशन करते समय निम्न श्रेणी भरें।

1. केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी।

2. केंद्र सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के स्थायी कर्मचारी।

3. राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी।

4. राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के स्थायी कर्मचारी।

5. निज़ी सेवा , व्यवसाय , कृषि ,मज़दूरी , प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी , किसी सरकारी संस्था या विभाग के संविदा कर्मचारी, श्रमिक आदि |

SC / ST / OBC केटेगरी में आने वाले अभिभावक ध्यान दें रजिस्ट्रेशन के समय बच्चे का डिजिटल जातिप्रमाणपत्र लगेगा।

बच्चे के नाम से ना होने पर केवल पिता का ही जातिप्रमाणपत्र मान्य होगा। वो भी केवल तीन महीने के लिये , उसके बाद बच्चे का ही जातिप्रमाणपत्र देना होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त हो सकता है।

इसलिये अभी से बच्चे के डिजिटल जातिप्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर देवें।